माननीय न्यायमूर्ति *जी. एस.* सिंघवी *और एस. एस. सुधालकर, के समक्ष*

सोहन सिंह अपीलकर्ता

*बनाम*

कुशला देवी और अन्य,-उत्तरदाता

*1995 का* एफ. *ए.* ओ. सं. 2289

12 अप्रैल, 1996

*मोटर वाहन अधिनियम. 1988- एस. 173(1)-मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173(1) के प्रावधान के पूर्व अनुपालन के बिना किसी भी पक्ष द्वारा दायर अपील की विचारणीयता-धारा 173(1) के प्रावधान को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य उपचारात्मक और लाभकारी है-अपील होना उच्च न्यायालय द्वारा केवल तभी विचार किया जाता है जब राशि जमा की जाती है - छूट का दावा इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि सह-प्रतिवादी ने पहले ही अपेक्षित जमा कर दिया है।*

*माना* गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 (1) के लिए प्रोविसो को शामिल करने के पीछे की वस्तु उपचारात्मक और लाभकारी है। अपील दायर करने के लिए एक शर्त के रूप में राशि को जमा करने की आवश्यकता दावेदार के ब्याज की रक्षा करती है, जिसके पक्ष में एक अिधिनणर्य दिया गया है। प्रोविसो में निर्दिष्ट राशि को धारा173 (1) में जमा करने के लिए अनिवार्य बनाकर, यह विधानमंडल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो मुआवजे के अिधिनणर्य को चुनौती देना चाहता है, उसे एक विशिष्ट राशि के साथ भाग लेना चाहिए जो उचित मामलों में हो सकता है दावेदारों को अपील के अंतिम निर्णय से पहले उपलब्ध कराई जाए । विधायी मंशा के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें प्रावधान में इस्तेमाल की गई सरल भाषा को स्वीकार न करने और व्याख्या के विभिन्न सिद्धांतों को लागू करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जिससे क़ानून को फिर से लिखना पड़ सकता है।

(पैरा 5)

*इसके अलावा, यह माना गया कि धारा 173(1) के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, कोई भी व्यक्ति जिसे दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के तहत किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वह अपील करता है, उसकी अपील पर केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही विचार किया जा सकता है। अपील तभी मान्य होगी यदि उक्त परंतुक के अनुसार अपेक्षित एक विशिष्ट राशि जमा करता है । वह इस आधार पर जमा करने से छूट नही ले सकता कि ट्रिब्यूनल के समक्ष एक सह-प्रतिवादी ने अपील दायर की है और अपेक्षित जमा करा दिया है।*

(पैरा 13)

एच. एस. गिल,*वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस गिल अधिवक्ता के साथ अपीलकर्ता के लिए।*

प्रतिवादीओं की ओर से हस्तक्षेपकर्ता करने वाले अधिवक्ता *सी. बी. गोयल और अशित मलिक।*

न्यायमूर्ति*जी. एस. सिंघवी,*

(1) अपील की स्वीकार्यता पर उठाए गए कार्यालय की आपत्ति के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठा है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 173(1) के प्रावधानों के अनुपालन के बिना मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक अधिनिर्णय के खिलाफ किसी पक्ष द्वारा दायर अपील पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है।

(2) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता-सोहन सिंह, बस संख्या एच.पी-20-0601 के चालक ने 3 जुलाई, 1995 को यह अपील दायर की। कोर्ट की रजिस्ट्री शाखा ने अपील की सुनवाई पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 173(1) के प्रावधान के अनुसार 25,000 रुपये जमा नहीं किए हैं।. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने उक्त आपत्ति का उत्तर यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि रुपये की राशि 25,000 जमा कर दिए गए हैं। उसी अिधिनणर्य के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा एक संबंधित अपील में बैंक ड्राफ्ट संख्या 01/सी-135040, दिनांक 7 जून, 1995 के माध्यम से, अपीलकर्ता के लिए 25,000 रुपये जमा करना इसीलिये नहीं था।

(3) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच. एस. गिल ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 173 (1) दावा न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देती है और एक बार जब पीड़ित व्यक्ति द्वारा 25, 000 या न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि का पचास प्रतिशत, उसी अिधिनणर्य के खिलाफ अपील दायर करने वाले अन्य व्यक्तियों को धारा 173 (1) के परंतुक के संदर्भ में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।श्री गिल ने तर्क दिया कि यदि धारा 173 (1) के परंतुक की शाब्दिक व्याख्या की जाती है तो इसका विसंगत परिणाम हो सकता है क्योंकि किसी मामले में परंतुक के संदर्भ में जमा की जाने वाली राशि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई कुल राशि से अधिक हो सकती है।दूसरी ओर, श्री सी. बी. गोयल और श्री अषित मलिक, अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि अपील की मनोरंजकता के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में एक विशिष्ट राशि जमा करने की आवश्यकता को किसी भी व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जो अिधिनणर्य के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देता है यदि उसे इस तरह के अिधिनणर्य के संदर्भ में कोई राशि का भुगतान करने

की आवश्यकता होती है और न्यायालय के लिए खंड 173 (1) के प्रावधान की व्याख्या इस तरह से करने का कोई कारण नहीं है जो राशि जमा करने की आवश्यकता को शामिल करने के उद्देश्य को विफल कर देता है।

अधिनियम की धारा 173 निम्नानुसार हैः–

"173. अपील–ं (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो दावा अिधकरण के अिधिनणर्य सेव् यिथत है , उस अिधिनणर्य र्य की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उच्चन्यायालय को अपील कर सकेगा :

परंतु ऐसे व्यिक्त की अपील उच्चन्यायालय द्वारा ग्रहण नही की जाएगी जिससे ऐसे अिधिनणर्य के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, यिद वह ऐसे उच्च न्यायालय में पच्चीस हजार रुपए या इस पर्कार अिधिनर्णत रकम का पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा निदष्ट रीति से जमा नहीं कर देता

परन् तु यह और कि यिद उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता ह कि समय पर अपील करने अपीलार्थी पयार्प् त कारण से निवारित रहा था तो वह उक्त नब्बे दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात् भी अपील गर्हण कर सकेगा ।

(2) दावा अिधकरण के अिधिनणर्य के विरुद्ध कोई अपील उस दशा मे न होगी जिसमे अपील मे विवादग्रस्त रकम दस हजार रुपए से कम है ।

(4) *उपरोक्त* उद्धृत प्रावधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि धारा 173 की उप धारा (1) किसी भी व्यथित व्यक्ति को दावा न्यायाधिकरण के एक निर्णय से अपील करने का अधिकार देती है। ।इस तरह की अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि अिधिनणर्य तारीख से 90 दिन है। 90 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद धारा 173 (1) का दूसरा परंतुक उच्च न्यायालय को विचार करने का अधिकार देता है यदि अपीलकर्ता को समय पर अपील को

प्राथमिकता देने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा था। धारा 173 (1) का पहला परंतुक एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अपील को संदर्भित करता है जिसे अधिनिर्णय के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसमें कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई अपील उच्च न्यायालय द्वारा दायर नहीं की जाएगी जिसे अधिनिर्णय के संदर्भ में किसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय में 25,000 रुपये या ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, जमा नहीं करता है। राशि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से की जानी आवश्यक है।

धारा 173 की उप-धारा (1) और पहले परंतुक में उपयोग की जाने वाली भाषा के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जबकि मुख्य उप-धारा में " कोई भी व्यक्ति, जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय सेव् यथित है " शब्द का उपयोग किया गया है, परंतुक में लिखा है " ऐसे व्यक्ति जीसे अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है।" इसका स्पष्ट अर्थ है कि अपील एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है जो अधिनिर्णय से व्यथित हो सकता है लेकिन जिसे अधिनिर्णय के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आम तौर पर दावेदार द्वारा अपील इस श्रेणी द्वारा आवरण की जाएगी। हालांकि, विधायिका ने एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई पर प्रतिबंध लगाना उचित समझा है, जिसके खिलाफ अपील के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 25,000 रुपये या ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, जमा करना आवश्यक है। विधायिका को इस तथ्य से पूरी तरह अवगत माना जाना चाहिए कि अधिनिर्णय एक प्रतिवादी या एक से अधिक प्रतिवादी के खिलाफ हो सकता है और ऐसे दलों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग निर्णय को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विधायिका

ने एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जमा राशि की आवश्यकता को शामिल किया है जो अिधिनणर्य के खिलाफ अपील करना चाहता है और जिसे अिधिनणर्य के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करना आवश्यक है। यदि विधायिका का इरादा था कि ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्णय से असंतुष्ट प्रतिवादियों में से, केवल एक द्वारा राशि जमा करना एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त  होगा, तो, परंतुक में पूरी तरह से स्पष्ट शब्दों में कहा गया होत और हमें इस परंतुक की व्याख्या इस तरह से करने का कोई कारण नहीं मिलता है जिससे इसे फिर से लिखना पड़े।

(5) अधिनियम की धारा 173 के परंतुक को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य उपचारात्मक और लाभकारी है। अपील की मनोरंजकता के लिए एक शर्त के रूप में राशि जमा करने की आवश्यकता दावेदार के हित की रक्षा करती है जिसके पक्ष में एक अिधिनणर्य दिया गया है। धारा 173 (1) के परंतुक में निर्दिष्ट राशि को जमा करना अनिवार्य बनाकर, विधायिका द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कोई मुआवजे के फैसले को चुनौती देना चाहता है, उसे एक विशिष्ट राशि के साथ भाग लेना होगा जो अपील के अंतिम निर्णय से पहले भी दावेदारों को उपलब्ध कराई जा सकती है। विधायी आशय के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें परंतुक में प्रयुक्त सादे भाषा को स्वीकार नहीं करने और व्याख्या के विभिन्न सिद्धांतों को लागू करने का कोई कारण नहीं मिलता है जो क़ानून के पुन: लेखन का कारण बन सकता है।

(6) हम व्याख्या के उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रसिद्ध निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं।

(7) कृषि आयकर आयुक्त बनाम केशव चंद्र एआईआर 1950 एस.सी. 265 मामले में, माननीय  सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बंगाल कृषि आयकर नियम, 1944 के प्रावधानों की व्याख्या की और अपीलीय

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि

"कठिनाई और असुविधा पर आधारित तर्क विधान द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के अर्थ को नहीं बदल सकता है यदि ऐसा अर्थ क़ानून या नियमों के चेहरे पर स्पष्ट है।"

(8) नागपुर निगम बनाम नागपुर में इसके कर्मचारी ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 675, माननीय न्यायमूर्ति ने कहा: —

"कि धारा का सही अर्थ विधायिका के व्यक्त इरादे से एकत्र किया जाना चाहिए। यदि संविधि के शब्द अपने आप में सटीक और स्पष्ट हैं, तो उन शब्दों को उनके प्राकृतिक और सामान्य अर्थों में व्याख्या करने की तुलना में अधिक आवश्यक नहीं है, ऐसे मामले में शब्द स्वयं विधायिका के इरादे को सबसे अच्छी तरह से घोषित करते हैं।"

(9) श्री राम बनाम श्री राम मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207-क के अंतर-निर्धारण के लिए व्याख्या का यही नियम लागू किया गया है।

(10) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विजय आनंद ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 946 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश कृषि आयकर अधिनियम 1948 के प्रावधानों की व्याख्या कर रहे थे और उसमें यह कहा गया था कि :

"निर्माण का मौलिक और प्राथमिक नियम यह है कि विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों को उनका सामान्य अर्थ दिया जाएगा और व्याकरण के नियमों के अनुसार माना जाएगा। जब कोई भाषा सरल और स्पष्ट होती है और केवल एक अर्थ को स्वीकार करती है, तो क़ानून के निर्माण का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अधिनियम स्वयं के लिए बोलता है।

यह निर्माण का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियम है कि अर्थ विधायिका के व्यक्त इरादे से एकत्र किया जाना चाहिए।"

(11) ओम प्रकाश गुप्ता बनाम डीआईजी विजेंद्रपाल गुप्ता एआईआर 1982 एससी 1230 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शहरी भवन (किराया, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों की व्याख्या की। एक तर्क दिया गया था कि अधिनियम के आवेदन से छूट केवल उन भवनों को दी गई है जो अधिनियम के प्रवर्तन के बाद निर्मित किए गए थे। तर्क को खारिज करते समय, उनके माननीय न्यायमूर्तियो ने कहा कि:-

"धारा 2 की उप-धारा (2) की भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है और किसी भी अस्पष्टता के अभाव में, उप-धारा की व्याख्या के लिए कोई बाहरी सहायता लेने का कोई सवाल ही नहीं है। सीधे शब्दों में, उप-धारा में कहा गया है कि अधिनियम किसी भवन पर उसके निर्माण की तारीख से 10 साल की अवधि के दौरान लागू नहीं होगा। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भवन का निर्माण अधिनियम के प्रवर्तन के बाद किया जाना चाहिए था और इस तरह से व्याख्या करने के लिए कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील इसकी व्याख्या करना चाहते हैं, हम उप-धारा में ऐसे शब्द जोड़ंगे जो स्वीकार्य नहीं हैं। आम तौर पर नियोजित भाषा विधायिका के इरादे का निर्धारण कारक है। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधायिका का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में पाया जाना चाहिए। व्याख्या का सवाल केवल तभी उठता है जब भाषा अस्पष्ट होती है और इसलिए, दो व्याख्याओं में सक्षम होती है। वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है और यह दो व्याख्याओं में सक्षम नहीं है।"

(12) डॉ. अजय परधान बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1875 सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करने के लिए व्याख्या के निम्नलिखित नियम पर भरोसा किया कि एक उम्मीदवार को सत्र के बीच में

या अंत में खाली होने वाली सीट के खिलाफ प्रवेश का अधिकार है। उनके माननीय न्यायमूर्तियो ने देखा:

"एक नियम की व्याख्या लिखित पाठ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सटीक शब्द सरल और स्पष्ट हैं, तो न्यायालय उन्हें उनके सामान्य अर्थों में समझने और उन्हें पूर्ण प्रभाव देने के लिए बाध्य है। असुविधा और कठिनाई की दलील खतरनाक है और केवल व्याख्या में स्वीकार्य है जहां क़ानून का अर्थ अस्पष्ट है और व्याख्या के वैकल्पिक तरीके हैं। जहां भाषा स्पष्ट है, उसके परिणाम संसद के लिए हैं, न कि अदालतों के लिए।"

(13) व्याख्या के उपर्युक्त नियम को लागू करते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि धारा 173 (1) के परंतुक को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, कोई भी व्यक्ति जिसे दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के तहत किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वह अपील को प्राथमिकता देता है, उसकी अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा केवल तभी विचार किया जा सकता है जब वह उक्त परंतुक द्वारा आवश्यक एक विशिष्ट राशि जमा करता है और वह इस आधार पर जमा करने से छूट का दावा नहीं कर सकता है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष एक सह-प्रतिवादी ने अपील दायर की है और अपेक्षित जमा किया है। यह अलग बात है कि उच्च न्यायालय धारा 173 (1) के परंतुक के तहत विभिन्न पक्षों द्वारा जमा की गई पूरी राशि के संवितरण का आदेश नहीं देगा।

(14) उपरोक्त के मद्देनजर, हम कार्यालय आपत्ति को बरकरार रखते हैं और अपीलकर्ता को छह सप्ताह की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 173 (1) के परंतुक में निर्दिष्ट राशि जमा करने का निर्देश देते हैं, जिसमें विफल रहने पर यह अपील खारिज कर दी जाएगी।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य**

**के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**सचिन सिंघल**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**हिसार , हरियाणा**